न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा0पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/221/2022	2022/360	22.08.2022	13.12.2022

1– सुमेर सिंह पुत्र जुगलाराम उर्फ जुगल किशोर जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1– रामरति पुत्री जयनारायण जाति अहीर पत्नी श्री सुबेसिंह यादव निवासी ग्राम कायसा हाल निवासी ग्राम सिहाली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2– सौभाग्यवती उर्फ भागवती पुत्री जयनारायण पत्नी वीरसिंह यादव निवासी हाल ग्राम रालियावास तहसील व जिला रेवाड़ी हरियाणा।
3– कौशल्या उर्फ कोली पुत्री जयनारायण पत्नी राजीवर यादव जाति अहीर निवासी हाल ग्राम रालियावास तहसील व जिला रेवाड़ी हरियाणा।
4– कृष्ण कुमार पुत्र प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
5– उप पंजीयक, नीमराना जिला अलवर राज0।
6– तहसीलदार, नीमराना जिला अलवर राज0।
7– फूला बाई पुत्री स्व प्रहलाद पत्नी बनवारीलाल जाति अहीर निवासी हाल ग्रम खेड़ा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
8– रामकला पुत्री स्व प्रहलाद पत्नी धर्मवीर यादव निवासी हाल ग्राम रालियावास तहसील व जिला रेवाड़ी हरियाणा।
9– सावत्री पत्नी रामजीलाल जाति खाती निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
10–अशोक कुमार पुत्र रामजीलाल जाति खाती निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
11–सुग्रीव सिंह पुत्र रामजीलाल जाति खाती निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
12–माया पुत्री रामजीलाल जाति खाती निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
13–शर्मिला पुत्री रामजीलाल जाति खाती निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
14–कमलेश पत्नी कमल सिंह जाति खाती निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
15–हर्षित पुत्र कमल सिंह जाति खाती निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
16–गुंजन पुत्री कमल सिंह जाति खाती निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
17–रामप्रताप पुत्र भाना जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
18–धोलाराम पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
19–किरोस्ता पुत्री रामसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
20–कांता पुत्री रामसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
21–रामकलां पत्नी रामसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
22–ओम प्रकाश पुत्र सुमेर सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
23–राजकुमार पुत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–
01. श्री कमलसिंह पोसवाल –वकील प्रार्थी
02. श्री जगदीश प्रसाद यादव –वकील अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4

जिला कलक्टर, अलवर

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी सुमेर सिंह बनाम रामरति वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 4 कृष्ण कुमार द्वारा प्रा0पत्र अंतर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 जा0दी0 पेश किया गया। जिसकी बहस हेतु दिनांक 22.08.2022 की पेशी नियत थी। अप्रार्थी सं0 4 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में काफी देर तक बैठा देखा गया है। दिनांक 18.08.2022 को भी पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से बाहर आया उसके बाद प्रकरण में आवाज दिलायी गयी। पीठासीन अधिकारी द्वारा बहस के लिए कहा गया। जिस पर प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि मैं दुसरी कोर्ट में व्यस्त हुं। इसलिए 10–15 दिन बाद की तारीख फरमा दे। लेकिन पीठासीन अधिकारी ने कहा की आप आज आवश्यक रूप से बहस करीये वरना में आदेश 01 नियम 10 प्रा0पत्र का निर्णय कर दुंगा। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा काफी निवेदन करने पर मुश्किल से दिनांक 22.08.2022 पेशी नियत की गयी और ये कहा गया कि आपको अंतिम अवसर दे रहा हुं। आगामी तारीख पर आवश्यक रूप से बहस कर लेना वरना फैसला कर दुंगा। अप्रार्थी सं0 4 ने भी गांव में प्रार्थी से खुलेआम कहा कि तुम्हारा दावा दिनांक 22.08.2022 को खारिज करवा दुंगा। उपखण्ड अधिकारी महोदय से बात हो चुकी है। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के अनुचित प्रभाव में है और प्रकरण को प्रार्थी के विरूद्ध कर देंगे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विचाराधीन राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी बार–बार मुंतकिल प्रा0पत्र लगाने का आदी हो चुका है। प्रकरण को लम्बा करने की वजह से यह प्रा0पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण प्रकरण में त्वरित न्याय चाहते है इसलिए प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार फरमाया जावें। मुंतकिल प्रा0पत्र उपखण्ड अधिकारी बानसूर/नीमराना में मुंतकिल नहीं किया जावें। क्योंकि पूर्व में इस केस को नीमराना से बहरोड़ मुंतकिल किया गया था। अतः प्रा0पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी बानसूर/नीमराना के अलावा किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल कर दिया जाता है तो मिन अप्रार्थी को कोई उज्र नहीं है।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। दौराने बहस वकील अप्रार्थी द्वारा उक्त राजस्व वाद को उपखण्ड अधिकारी बानसूर/नीमराना के अलावा किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु अनापत्ति जाहिर की है। प्रथमदृष्ट्या प्रा0पत्र मुंतकिल न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विद्वान अभिभाषकों की बहस के आधार पर न्यायहित में प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी सुमेर सिंह बनाम रामरति न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ एवं सहायक कलक्टर अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर, अलवर